न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 207/2013

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. रामपाल पुत्र मांगू
2. बिदामी बेवा धन्ना
3. ढगलाराम पुत्र मांगू
4. अमराराम पुत्र मांगू
5. हापू पुत्र भूरा
6. भंवरु पुत्र गोपू
7. गुमान पुत्र गोपू
8. ओगड़ के कायम मुकामः-
   8/1 डालकी बेवा ओगड़
   8/2 कालू पुत्र ओगड़
   8/3 रणजीत पुत्र ओगड़
   8/4 नोजी पुत्री ओगड़
   8/5 पुजा पुत्री ओगड़
9. भेरा पुत्र जस्सा
10. सुगना पुत्र जस्सा
11. जेठा पुत्र जस्सा
12. शिवला पुत्र नेना के कायम मुकाम :-
    12/1 बाबू पुत्र शिवला
    12/2 कंवरु पुत्र शिवला
    12/3 मुकेश पुत्र शिवला
    12/4 पुखराज पुत्र शिवला
    12/5 बहादुर पुत्र शिवला
    12/6 कसुमी बेवा शिवला
13. रतना पुत्र हजारी
14. शंकर पुत्र हजारी
15. प्रभु पुत्र पन्ना
16. भेरा पुत्र भबूत
17. पीरु पुत्र भबूत
18. चन्द्रा पुत्र भबूत
19. हरदेव पुत्र उदा
20. हेमा पुत्र उदा
21. गुमानराम पुत्र आदू
22. शिम्भूराम पुत्र आदू
23. सांवरराम पुत्र आदू

प्रतिवादीगण :-

1. भेरा पुत्र भारमल के कायम मुकाम :-
   1/1 हेतराम पुत्र भेरा
   1/2 गुलाबराम पुत्र भेरा
   1/3 धर्माराम पुत्र भेरा
   1/4 रामपाल पुत्र भेरा
   1/5 फेफी पत्नि भेरा
2. लाबू पुत्र भारमल
3. काना पुत्र भारमल
   जातियान-माली,निवासी-टूंकड़ा
4. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

24. बिदागी बेवा आदू
25. लिछमण पुत्र छीतर
26. छेला पुत्र छीतर
27. कालू पुत्र छीतर
28. जीवण पुत्र लादू
29. गोपू पुत्र पन्ना के
कायम मुकाम :-
28/1 हरिराम पुत्र गोपू
28/2 ओमप्रकाश पुत्र गोपू
28/3 बोदूराम पुत्र गोपू
28/4 कालूराम पुत्र गोपू
28/5 भंवरू पुत्र गोपू के
कायम मुकाम :-
28/5/1 कंवरलाल पुत्र भंवरू
28/5/2 किशनलाल पुत्र भंवरू
28/5/3 शारदा पुत्री भंवरू
28/5/4 दुर्गा पुत्री भंवरू
28/5/5 राधा बेवा भंवरू
30. छगना पुत्र पन्ना के
कायम मुकाम :-
29/1 सिणगारी बेवा छगना
29/2 संतोष बेवा मिश्रु
29/3 निम्बुड़ी उर्फ रेखा पुत्री मिश्रु
29/4 तुलसीराम पुत्र छगना
29/5 हुकाराम उर्फ हुकीचन्द पुत्र छगना
29/6 बाबुलाल पुत्र छगना
31. अमरा पुत्र धन्ना
32. सोहनी बेवा धन्ना
33. चेना पुत्र मंगला
34. कालू पुत्र मंगला
35. भंवरू पुत्र चन्द्रा
36. मोहन पुत्र चन्द्रा
37. तेजा पुत्र चन्द्रा के
कायम मुकाम :-
36/1 सीता पुत्री तेजा
36/2 चौथकी पुत्र तेजा
36/3 सांवरलाल पुत्र तेजा
38. रूपली बेवा चन्द्रा
39. छोगा पुत्र सांवता
40. गणेश पुत्र बालू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

41. शंकर पुत्र बालू

42. मूली बेवा बालू

के कायम मुकाम :-

42/1 नर्बदा पुत्री बालू

जातियात-माली, निवासीगण-टूंकड़ा

तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.18.07.2013**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 25/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की पैतृक व पुश्तैनी शामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 347 कुल किता-11 कुल रकबा 80-19 बीघा किस्म चा0प्र0, बा0दो0 व गै0मु0बेरा की आई हुई हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आपस में रिश्ते में भाई बन्धु हैं, जिसकी वंशावली पेश की जा रही हैं। वादीगण संख्या 1 से 18 का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं व वादी संख्या 19 से 41 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा व काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर जमीन का बंटवाड़ा किया हुआ हैं, कुऐ पर 10 एच0पी0 का विद्युत कनेक्शन लिया हुआ हैं तथा एक 8 एच0पी0 का डिजल इंजन लगा हुआ हैं, जिसे अपने हिस्से माफिक पानी निकाल कर अपने हिस्से की जमीन व फसल की पिलाई करते हैं। उक्त मुतनाजा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की शामलाती पाईप लाईन डाली हुई हैं। वक्त सैटलमेन्ट 1955 में सैटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से मुतनाजा जमीन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता भारमल का नाम राजस्व रेकर्ड में दो जगह दर्ज कर दिया, जो एक गलत इन्द्राज (रोंग एन्ट्री) की तारीफ में आता हैं और भारमल का 1/3 हिस्सा अलग से दर्ज कर दिया, जो गलत हैं। जबकि भारमल का नाम अपने हिस्से माफिक खाते में दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व 2 व 3 व इनके पिता भारमल का मुतनाजा जमीन के 1/3 हिस्से पर कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा। जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का शामलाती अपने हिस्से माफिक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम गजल इन्द्राज चालू रहने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की नियम में फर्क आने से उक्त जमीन यानि 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री (गलत इन्द्राज) हैं, जिसका बेचान करना चाहते हैं। जबकि मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा व काश्त नहीं हैं। जमीन की किमते बढ़ने व गांव में पार्टी बाजी की वजह से प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजस्व रेकर्ड की रोंग एन्ट्री का नाजायज फायदा उठाना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

चाहते हैं, जो वादीगण किसी भी सूरत में प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बेचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि नहीं करने देंगे और न कब्जा करने देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 लाठी के बल पर कब्जा लेने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन वादीगण ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। वादीगण अनपढ़ काश्तकार हैं तथा राजस्व रेकर्ड बारे में गलत इन्द्राज होने बाबत् ज्ञान नहीं होने से आज तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का गलत इन्द्राज चलता रहा दिनांक 22/02/1983 को उक्त मुतनाजा जमीन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम गलत दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा लिखकर दिया कि मुतनाजा जमीन में हमारा नाम 1/3 हिस्से में गलत दर्ज हैं। जिसको हम दुरूस्त करवा देंगे यानि मुतनाजा जमीन में कुल दो हिस्सेदार है। इसी माफिक मौके पर काबिज हैं। दिनांक 22/02/1983 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने गांव-टूंकड़ा के सभी जाति के मौजिज व्यक्तियों के सामने लिखकर दिया कि मुतनाजा जमीन में हमारा 1/3 हिस्सा दर्ज हैं, जो गलत होने से रेकर्ड दुरूस्ती करवा लेंगे। लेकिन अब 15/06/2013 को ऐलानिया कहा कि विवादित भूमि का बेचान कर देंगे एवं बरसात होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने ऐलानिया कहा कि मुतनाजा जमीन के 1/3 हिस्से में हमारा नाम दर्ज हैं। इसलिए उक्त जमीन में हम लाठी के बल पर फसल बोयेंगे या किसी बदमाश व्यक्ति (अजनबी व्यक्ति) को उक्त जमीन का बेचान, बख्शीश, वसीयत, रहन आदि कर देंगे। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को नम्रता पूर्वक समझाया व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को समझाईश की लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने और धमकी दी कि किसी सूरत में जमीन में फसल बो देंगे। यदि फसल नहीं बोने देंगे तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन, वसीयत आदि कर देंगे या उक्त भूमि पर बैंक से ऋण उठा लेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आये दिन नई हरकते करते हैं। जबकि मुतनाजा जमीन में प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्सा आता हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 22/02/1983 को वादीगण के पक्ष में राजीनामा व उसी दिन गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष इकरारनामा रेकर्ड दुरूस्ती बाबत् लिखकर दिया, जिससे भी पाबन्द हैं। जिसकी फोटो प्रति दावा के साथ पेश की हैं। मुतनाजा जमीन के कुल दो हिस्से किये हुये हैं, जो मौके पर भी दो हिस्से माफिक आपस में बंटवाड़ा किया हुआ हैं। इसी जिस्से माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना जरूरी हैं। यानि प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज हैं, जो हटाया जाना जरूरी हैं। वादी संख्या 1 से 18 को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 19 से 41 व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी हैं। प्रतिवादी संख्या 4 उप पंजीयन अधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से व आवश्यक पक्षकार होने से 80 सीपीसी का बिना नोटिस दिये ही दावा आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सीपीसी की इजाजत लेकर दावा पेश किया जा रहा हैं। विवादित आराजी के जो खातेदार फौत हो गये हैं। उनके उत्तराधिकारी को पक्षकार बनया गया हैं। वादीगण का बिनायवाद दिनांक 15/06/2013 को प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि ग्राम-टूंकड़ा में अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए जमीन कम्पनी द्वारा खरीद की जा रही हैं। हम लोग विवादित आराजी का बेचान जबरदस्ती कर देंगे एवं जबरदस्ती कब्जा कर फसल बोने आदि की धमकी देने पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बमुकाम-टूंकड़ा में पैदा हुआ, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में हैं। वाद अन्दर म्याद पेश किया हैं।

इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा करवाया जाने तथा जरिए स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को पाबन्द किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। इससे राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया। लोक अदालत की भावना से उपस्थित उभय पक्षकारान् को मजमा-ए-आम में प्रकारण में समझाईश से राजीनामा करने हेतु प्रेरित किया गया। उभय पक्षकारों द्वारा सहमति से राजीनामा पेश करने हेतु चूँकि समस्त वादी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से समय चाहा गया। राजीनामा पेश करने हेतु न्यायालय हाजा में दिनांक 25/06/2015 को मुकर्रर किया गया। दिनांक 25/06/2015 को जरिए वादीगण वकील मय उभय पक्षकारों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर राजीनामा पेश किया, जिसे अवलोकन कर बाद तस्दीक सा0मि0 किया गया। लिहाजा माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की पैतृक व पुश्तैनी शामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 347 कुल किता-11 कुल रकबा 80-19 बीघा किस्म चा0प्र0, बा0दो0 व गै0मु0बेरा में वादी संख्या 1 से 18 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। उसे हटाया जाता हैं। वादी संख्या 29 के कायम मुकाम छगना की लड़कियां सेणकी मिटूडी केमली लीला द्वारा हकतर्क करने से इनका नाम हटाया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 31 सोहनीदेवी द्वारा हकतर्क करने से नाम हटाया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 41 मुली फौत होने से नाम हटाया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखल करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लौटोती पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादीगण :-

1. रामपाल पुत्र मांगू
2. बिदामी बेवा धन्ना
3. ढगलाराम पुत्र मांगू
4. अमराराम पुत्र मांगू
5. हापू पुत्र भूरा
6. भंवरू पुत्र गोपू
7. गुमान पुत्र गोपू
8. ओगड़ के कायम मुकामः-
   8/1 डालकी बेवा ओगड़
   8/2 कालू पुत्र ओगड़
   8/3 रणजीत पुत्र ओगड़
   8/4 नोजी पुत्री ओगड़
   8/5 पुजा पुत्री ओगड़
9. भेरा पुत्र जस्सा
10. सुगना पुत्र जस्सा
11. जेठा पुत्र जस्सा
12. शिवला पुत्र नेना के
   कायम मुकाम :-
   12/1 बाबू पुत्र शिवला
   12/2 कंवरू पुत्र शिवला
   12/3 मुकेश पुत्र शिवला
   12/4 पुखराज पुत्र शिवला
   12/5 बहादुर पुत्र शिवला
   12/6 कसुमी बेवा शिवला
13. रतना पुत्र हजारी
14. शंकर पुत्र हजारी
15. प्रभु पुत्र पन्ना
16. भेरा पुत्र भबूत
17. पीरू पुत्र भबूत
18. चन्द्रा पुत्र भबूत
19. हरदेव पुत्र उदा
20. हेमा पुत्र उदा
21. गुमानराम पुत्र आदू
22. शिम्भूराम पुत्र आदू
23. सांवरराम पुत्र आदू

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भेरा पुत्र भारमल के
   कायम मुकाम :-
   1/1 हेतराम पुत्र भेरा
   1/2 गुलाबराम पुत्र भेरा
   1/3 धर्माराम पुत्र भेरा
   1/4 रामपाल पुत्र भेरा
   1/5 फेफी पत्नि भेरा
2. लाबू पुत्र भारमल
3. काना पुत्र भारमल
   जातियान-माली,निवासी-टूंकड़ा
4. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

24. बिदामी बेवा आदू
25. लिछमण पुत्र छीतर
26. छेला पुत्र छीतर
27. कालू पुत्र छीतर
28. जीवण पुत्र लादू
29. गोपू पुत्र पन्ना के
 कायम मुकाम :-
28/1 हरिराम पुत्र गोपू
28/2 ओमप्रकाश पुत्र गोपू
28/3 बोदूराम पुत्र गोपू
28/4 कालूराम पुत्र गोपू
28/5 भंवरू पुत्र गोपू के
 कायम मुकाम :-
28/5/1 कंवरलाल पुत्र भंवरू
28/5/2 किशनलाल पुत्र भंवरू
28/5/3 शारदा पुत्री भंवरू
28/5/4 दुर्गा पुत्री भंवरू
28/5/5 राधा बेवा भंवरू
30. छगना पुत्र पन्ना के
 कायम मुकाम :-
29/1 सिणगारी बेवा छगना
29/2 संतोष बेवा मिश्रु
29/3 निम्बुड़ी उर्फ रेखा पुत्री मिश्रु
29/4 तुलसीराम पुत्र छगना
29/5 हुकाराम उर्फ हुकीचन्द पुत्र छगना
29/6 बाबुलाल पुत्र छगना
31. अमरा पुत्र धन्ना
32. सोहनी बेवा धन्ना
33. चेना पुत्र मंगला
34. कालू पुत्र मंगला
35. भंवरू पुत्र चन्द्रा
36. मोहन पुत्र चन्द्रा
37. तेजा पुत्र चन्द्रा के
 कायम मुकाम :-
36/1 सीता पुत्री तेजा
36/2 चौथकी पुत्र तेजा
36/3 सांवरलाल पुत्र तेजा
38. रूपली बेवा चन्द्रा
39. छोगा पुत्र सांवता
40. गणेश पुत्र बालू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

41. शंकर पुत्र बालू

42. मूली बेवा बालू

के कायम मुकाम :-

42/1 नर्बदा पुत्री बालू

जातियात-माली, निवासीगण-टूंकड़ा

तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई</u> मु0न0 :रा0वा0स0:207/2013

<u>निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा संशोधित डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की पैतृक व पुश्तैनी शामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 347 कुल किता-11 कुल रकबा 80-19 बीघा किस्म चा0प्र0, बा0दो0 व गै0मु0बेरा में वादी संख्या 1 से 18 को 1/2 हिस्से, वादी संख्या 19 हरदेव पुत्र उदा से वादी संख्या 32 सोहनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के का0मु0 1/1 से 1/5 व 2 तथा 3 को 1/4 तथा वादीगण संख्या 33 से 42 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। उसे हटाया जाता हैं। वादी संख्या 29 के कायम मुकाम छगना की लड़कियां सेणकी मिठूडी केमली लीला द्वारा हकतर्क करने से इनका नाम हटाया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 31 सोहनीदेवी द्वारा हकतर्क करने से नाम हटाया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 41 मुली फौत होने से नाम हटाया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखल करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/12/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	06-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	13-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner